–: समस्त केन्द्राध्यक्षों के लिए महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

1. केन्द्राध्यक्ष परीक्षाओं के सफल संचलान हेतु सहायक केन्द्राध्यक्ष/उड़न दस्ता/कक्षनिरीक्षक/तृतीय/चतुर्थ कार्मिकों की नियमानुसार नियुक्ति कर तत्काल विश्वविद्यालय को सूची उपलब्ध करायें जिसकी जाँच विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़न दस्ते द्वारा केन्द्र में की जायेगी। सूची अपूर्ण या असत्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।
2. परीक्षओं के सफल संचालन के लिए केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समुचित होने चाहिए। यदि प्रबन्धन में कमी पाई जाय तो यथासमय निस्तारण कर लिया जाए। अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।
3. परीक्षाओं के लिए प्राप्त सामग्री को समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जाय। तथा परीक्षाओं के दौरान यथासमय/यथानियम ही गोपनीय सामग्री खोली जाये, जिससे परीक्षाओं की गोपनीयता बनी रहें।
4. यदि परीक्षाओं के दौरान सीलबन्द लिफाफों के अन्दर विषयेतर प्रश्नपत्र प्राप्त होते हैं तो तत्काल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को 01334–297027 पर सूचित किया जाय तथा किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए आधे घंटे पश्चात् सूचना दी जाती है तो ही उस पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई प्रश्न पत्र लीक होता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।
5. दैनिक उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थी द्वारा अंकित दिनांक समय विषय एवं हस्ताक्षर जाँच करने के पश्चात् ही कक्ष निरीक्षक उपस्थिति प्रमाणित करें।
6. **विशेष – यदि किसी केन्द्राध्यक्ष के परिजन पत्नी/बहन/भाई/पुत्र/पुत्री/अन्य सम्बन्धी आदि परीक्षार्थी के रूप में केन्द्र में प्रतिभाग कर रहें हो तो उसकी सूचना तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन को अवश्य दें जिससे वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जा सके। इसी प्रकार केन्द्र पर नियुक्त अन्य कार्मिकों का सम्बन्ध किसी परीक्षार्थियों से न हो केन्द्राध्यक्ष सुनिश्चित करें।**
7. परीक्षा के दौरान यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो तत्काल प्रभाव से केन्द्राध्यक्ष कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में प्रपत्र संख्या 08 पूरित कर परीक्षा कक्ष से परीक्षार्थी को निष्कासित करें तथा उसकी सूचना विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को तत्काल दी जाय।
8. प्रवेश पत्र के अतिरिक्त छात्र परीक्षा भवन में पुस्तक मोबाइल फोन अथवा कोई भी अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखेगा। औचक निरीक्षण के दौरान यदि इस प्रकार की कोई भी आवांछित सामग्री पाई जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्र एवं कक्ष निरीक्षकों का होगा।
9. छात्रों हेतु जल की व्यवस्था परीक्षा कक्ष में अनुसेवक के माध्यम से की जाय।
10. परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घण्टे के पश्चात् ही परीक्षार्थी को लघुशंकादि के लिए कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में आवागमन का समय अंकित कर ही छोड़ा जाए। एक ही कक्ष

से जब तक प्रथम छात्र वापस न आ जाये तक दूसरे छात्र को न भेजा जाये। तथा परीक्षा की सम्पूर्ण अवधि में दो बार ही अनुमति दी जाए।

11. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घंटे के बाद परीक्षा कक्ष में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

12. यदि कोई छात्र परीक्षा समय की पूर्णता से पहले जाना चाहता है तो कक्ष निरीक्षक को उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न पत्र देकर परीक्षा समाप्ति के आधे घंटे पूर्व ही जा सकता है।

13. **परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त प्रत्येक विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का सीलबन्द लिफाफों में निर्धारित प्रपत्रों से मिलान कर एवं सम्बद्ध विषय के प्रश्न पत्र पूर्ण गोपनीयता के साथ ही रखा जाए। किसी भी प्रकार की विसंगतियों के लिए केन्द्र उत्तरदायी होगा। अप्रयुक्त प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाऐं यथा समय विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करवाना सुनिश्चत करें।**

14. परीक्षा के दौरान होने वाले व्यय के लिए केन्द्राध्यक्षों को अग्रिम धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त यथा समय विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में समायोजन करना सुनिश्चित करें।

15. यदि किसी छात्र के प्रवेश पत्र में त्रुटिवश गलत अनुक्रमांक अंकित हो जाता है तो अनुक्रमांक सूची से जॉच करने के उपरान्त सही अनुक्रमांक उत्तरपुस्तिकाओं में अंकित किया जाये।

16. **विश्वविद्यालय उड़नदस्ता सदस्यों द्वारा किसी भी समय परीक्षाओं का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पायी गयी तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।**

17. यदि किसी छात्र का प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है तो केन्द्राध्यक्ष अनुक्रमांक सूची के आधार पर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति आवंटित कर सकते हैं और इसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाय।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का सफल संचालन किया जाए।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

अतिगोपनीय एवं महत्वपूर्ण

परीक्षा वर्ष 2017–18

घोषणा–पत्र

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2017–18 में मेरा कोई भी पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री, सगा–सम्बन्धी सम्मिलित नहीं हो रहा है। उपरोक्त कथन मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है। यदि बाद में किसी स्तर पर अन्यथा प्रमणित हुआ तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय मुझे मान्य होगा।

नोटः– **यदि किसी केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष** कक्ष निरीक्षक /परीक्षक **परिशोधक का उक्त घोषणा–पत्र असत्य पाया गया तो सम्बन्धित परीक्षक के खिलाफ** विश्वविद्यालय **आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा।**

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/
कक्ष निरीक्षक/परीक्षक के हस्ताक्षर
दिनांक .....
नाम.....
विश्वविद्यालय का नाम.....
मोबाईल नं0 .....

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2017–18 में मेरा सम्बन्धी श्री /कु0/श्रीमती.....अनुक्रमांक.....परीक्षा 2017–18 में सम्मिलित हुआ है, अतः मुझे उक्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/परीक्षक/कक्ष निरीक्षक/परीशोधक न नियुक्त किया जाये।

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/
कक्ष निरीक्षक/परीक्षक के हस्ताक्षर
दिनांक .....
नाम.....
विश्वविद्यालय का नाम.....
.....
मोबाईल नं0.....